

IN THE COURT OF LAND REFORM DEPUTY COLLECTOR SIMDEGA
SCHEDULE

Permission has been granted to सुश्री सुफीरा केरकेट्टा

S/O, W/O, D/O स्व० रावेल केरकेट्टा

Village: सिमडेगा बुधराटोली

P.S सिमडेगा District Simdega to transfer the following land to

Sri/Smt. श्रीमति सुमन्ति लकडा

S/O, W/O, D/O सैयुन तोपनो

Village: सलडेगा

P.S: सिमडेगा

District Simdega by the L.R.D.C. Simdega in his order dated.....6.8.21

in Rev, C.N.T. case No 135 of 2020-21

U/S 46 C.N.T. Act,

Village	Thana	Thana No	Khata No.	Plot No.	Area (in acies)	Value for Sale
सिमडेगा बुधराटोली	सिमडेगा	116	45	2073	1.63 ए० में से 0.10 ए०	5,00,000.00

(पाँच लाख रु० मात्र)

भूमि की चौहदी:

उत्तर - प्रस्तावित कच्चा रास्ता 12 फीट

दक्षिण - टांड नीज बिक्रेतिका

पूरब - टांड इसी प्लॉट का अंश नीज बिक्रेतिका

पश्चिम - टांड इसी प्लॉट का अंश

Sd.....

L.R.D.C. Simdega

Memo No. 194 (ii) /Rev. Dated (Simdega the 6.8.2021)

Copy forwarded to the Sub Registrar, Simdega and Sri सुश्री सफीरा केरकेट्टा

S/O, W/O, D/O स्व० रावेल केरकेट्टा

P.S: सिमडेगा

Village: सिमडेगा बुधराटोली

Dist: सिमडेगा



L.R.D.C. Simdega

For Information and needful

6/8/21



न्यायालय, भूमि सुधार, उप समाहर्ता, सिमडेगा
अनुमति वाद सं० 135/2020-21

10/40
93/08/21

सुश्री सफीरा केरकेट्टा आवेदिका
बनाम
झारखण्ड सरकार विपक्षी

आदेश

आवेदिका सुश्री सफीरा केरकेट्टा, पिता स्व० राबेल केरकेट्टा, ग्राम- सिमडेगा बुधराटोली, थाना-सिमडेगा, जिला-सिमडेगा ने निम्नांकित भूमि को छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46 के तहत बिक्री हेतु अनुमति प्राप्त करने के लिए आवेदन-पत्र दायर किये हैं।

भूमि विवरण:-

मौजा	थाना	थाना नं०	खाता न०	प्लॉट न०	रकबा
सिमडेगा बुधराटोली	सिमडेगा	116	45	2073	1.63 एकड़ में से 0.10 एकड़

कुल रकबा (दस डिसमील) मात्र।

आवेदिका अपनी वसीयत से प्राप्त जमीन को गृह निर्माण हेतु प्रस्तावित क्रेतिका- श्रीमति सुमन्ति लकड़ा, पति सैयुन तोम्नो, ग्राम- सलडेगा, थाना- सिमडेगा, जिला- सिमडेगा (जाति उराँव) को बिक्री कर रहे हैं। आम सूचना निर्गत की गई। आम सूचना का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है, जो अभिलेख में संलग्न हैं। किसी के द्वारा कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हैं।

अंचल अधिकारी सिमडेगा के पत्रांक 228(ii)/रा० दिनांक 22.04.2021 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन एवं आम सूचना का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त हैं, जो अभिलेख में संलग्न हैं। किसी व्यक्ति के द्वारा आपत्ति दायर नहीं किया गया है, न ही अंचल अधिकारी के द्वारा किसी प्रकार का विवाद का आपत्ति के संबंध में प्रतिवेदन दिया गया है। प्रस्तावित भूमि आवेदिका की वसीयत से प्राप्त भूमि है। प्रस्तावित भूमि के खतियानी रैयत जैमसी खड़िया वल्द खड़ू खड़िया वो नीरमल खड़िया वल्द पोठो खड़िया है। वर्तमान जमाबंदीदार सफीरा केरकेट्टा पिता स्व० राबेल केरकेट्टा के नाम से दर्ज है। मालगुजारी आवेदिका के द्वारा दिया जाता है। बिक्रेतिका एवं क्रेतिका दोनों अनुसूचित जनजाति खड़िया एवं उराँव जाति के सदस्य हैं, तथा एक ही थाना क्षेत्र के निवासी हैं। प्रस्तावित भूमि बिक्री के पश्चात आवेदक के पास 9.18 एकड़ भूमि शेष बचता है।

भूमि स्वामित्व से संबंधित कागजात में खतियान एवं, लगान रसीद, स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र सं० पत्र संख्या-जे०एच०आर०सी०/2020/261857 दिनांक 04.11.2020/ जाति प्रमाण पत्र संख्या जे०एच०सी०सी०/2017/660110 दिनांक 12.06.2017 एवं आधार संख्या

30

771384918336 की छाया प्रति प्रस्तुत है जो अभिलेख में सलग्न है। क्रेतिका की ओर प्रमाण पत्र संख्या जे0एच0सी0सी0/2018/1651741 दिनांक 27.12.2018/स्थानीय निवास्त पत्र संख्या-जे0एच0आर0सी0/2020/270552/दिनांक 01.11.2020 एवं आधार 732978827297 की छाया प्रति तथा जमीन का चौहदी प्रस्तुत किया है, जो अभिलेख में स हैं।

आवेदिका ने अपने बयान में कहा है कि मौजा- सिमडेगा बुधराटोली, थाना न0-116, थाना सिमडेगा के अन्तर्गत खाता न0-45 प्लॉट संख्या 2073 रकबा 1.63 ए0 मे से 0.10 ए0 जमीन को गृह निर्माण हेतु क्रेतिका- श्रीमति सुमन्ति लकड़ा, पति सैयुन तोपनो, ग्राम- सलडेगा, थाना- सिमडेगा, जिला- सिमडेगा को मो0 5,00,000.00 रु0 (पाँच लाख) रुपये मात्र में अपने राजी- खुशी से बिक्री कर रहे हैं। यह हमारी वसीयत से प्राप्त भूमि है। उक्त जमीन बिक्री करने के बाद मेरे पास 9.18 एकड़ जमीन शेष बचती है। बिक्रेता एवं क्रेतिका दोनों अनुसूचित जनजाति खड़िया एवं उराँव जाति के सदस्य है, तथा एक ही थाना क्षेत्र के निवासी है।

अंचल अधिकारी, सिमडेगा के जाँच प्रतिवेदन एवं आवेदक के बयान के आधार पर मौजा- सिमडेगा बुधराटोली, थाना न0-116, थाना सिमडेगा के अन्तर्गत खाता न0-45 प्लॉट संख्या 2073 रकबा 1.63 ए0 मे से 0.10 ए0 जमीन आवेदिका सुश्री सफीरा केरकेट्टा, पिता स्व0 रावेल केरकेट्टा, ग्राम- सिमडेगा बुधराटोली, थाना-सिमडेगा, जिला-सिमडेगा द्वारा क्रेतिका- श्रीमति सुमन्ति लकड़ा, पति सैयुन तोपनो, ग्राम- सलडेगा, थाना- सिमडेगा, जिला- सिमडेगा को स्थानीय बाजार दर के अनुसार छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46 के तहत भूमि बिक्री करने की स्वीकृति दी जाती है।

लेखापित एवं संशोधित ।

भूमि सुधार विभाग
सिमडेगा ।



भूमि सुधार विभाग
सिमडेगा ।

पुनश्च: तालिका तीन प्रतियों में तैयार करें। मूल प्रति आवेदक को तथा एक प्रति जिला निबंधन पदाधिकारी सिमडेगा को भेजें।

भूमि सुधार विभाग
सिमडेगा ।

3a
28/09/21